



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नेक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ खान
कार्यकारी कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Acting Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax : + 91-7152-247602

क्रमांक: 003/2003/का.आ./02-124/2021
दिनांक : 22.06.2021

कार्यालयादेश

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए आंतरिक समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है :

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. डॉ. अनिल कुमार दुबे, सहायक प्रोफेसर, | : अध्यक्ष |
| 2. डॉ. प्रदीप कुमार, सहायक प्रोफेसर, | : शैक्षणिक सदस्य |
| 3. श्री अखिलेश यादव, सहायक प्रोफेसर | : शैक्षणिक सदस्य |
| 4. श्री गुलशन कुमार, (एम फिल.) भाषा विज्ञान एवं भाषा प्रौद्योगिकी विभाग | : छात्र प्रतिनिधि |
| 5. श्रीमती सुनीता दिलीप नाईक | : अभिभावक प्रतिनिधि |
| 6. सुश्री गुंजन जैन, भाषा अनुषंगी-II | : गैर-शैक्षणिक प्रतिनिधि |
- एवं सदस्य सचिव

उक्त समिति का कार्य दिव्यांग विद्यार्थियों की दैनंदिन आवश्यकताओं एवं दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए मौजूदा योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के साथ ही समान अवसर प्रकोष्ठ की कार्यप्रणाली की रिपोर्ट करना भी होगा।

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कादर नवाज़
(कुलसचिव)
22/06/22

प्रति (ई-मेल द्वारा) : सभी संबंधित

प्रतिलिपि (ई-मेल द्वारा) :

1. कुलपति कार्यालय,
2. प्रतिकुलपति द्वय कार्यालय,
3. समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, केंद्र निदेशक
4. स्थापना एवं प्रशासन विभाग
5. प्रवेश प्रकोष्ठ
6. विश्वविद्यालय वेबसाइट
7. संबंधित पत्रावली